न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 275/23 निर्णय दिनांकः– 24-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/343)

1. हिम्मताराम पुत्र कोजाराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सत्यनारायण पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी भादवा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. हरिराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20–09–2022
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 20–09–2022 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित मिडियमपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 2 एमएसएम ए के मुरब्बा नम्बर 221/60, 221/59 व 240/21 में स्थित है। मुरब्बा नम्बर 221/60 के किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 की कुल 11.14 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के मिडियमपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिस पर अपीलांट्स की भी वरियता बनती है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सह खातेदारों की वरियता तैयार करते हुए सभी के धारण की भूमि को स्पष्ट किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होते हुए भी वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि मिडियमपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियमपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट्स की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियमपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कुल 12 बीघा भूमि अराजीराज होने एवं उक्त 12 बीघा भूमि को मिडियम पेच के आवंटन हेतु अंकित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक सूचना जारी की गई है उक्त सूचना में 10.12 बीघा कमाण्ड होना अंकित किया है जबकि मिडियम पेच के तहत केवल मात्र 10 बीघा कमाण्ड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। आंवटन अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वन विभाग एवं नहर विभाग से किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं की है जबकि तहसील कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट मे उक्त दोनों रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अंकित है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियमपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 02 एमएसएम ए के मुरब्बा नम्बर 221/52 में स्थित होने के कारण उसी मुरब्बे के चिपते मुरब्बा नम्बर 221/60 के किला नम्बर 11, 12, 16 ता 25 की 11.14 बीघा भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप भी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14ए के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर मिडियमपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें के चिपते ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–09–2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–10–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) हस्तगत् प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण मिडियम पेच का होने के कारण सर्वप्रथम मिडियम पेच आवंटन की परिभाषा का अवलोकन किया गया। राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के अनुसार "Medium patch" means a piece of land measuring more than 5 bighas of irrigated land and 10 bighas of unirrigated land but not more than 10 bighas of irrigated land and 20 bighas of unirrigated land. उपरोक्त परिभाषा के अनुसार 10 बीघा कमाण्ड भूमि तक का आवंटन मिडियम पेच आवंटन की श्रेणी में किया जा सकता है। मगर प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा कुल 11.14 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें 10.12 बीघा भूमि कमाण्ड होने का अंकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है। जो कि स्पष्ट तौर पर मिडियम पेच की परिधि से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व तहसील स्तर से जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा कुल 3 बिन्दुओं का नोट था जो निम्नानुसार है:–

1. आवेदक के स्वयं के मुरब्बे में आवेदक का रकबा नहीं है।
2. गजट की सूचना आवंटन शाखा से अपेक्षित है।
3. वन विभाग एवं नहर विभाग से सूचना अपेक्षित है।

उक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त शपथ पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने धारण में कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में अभिकथित भूमि से ज्यादा भूमि है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वो मिथ्या है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–09–2022 उपखण्ड अधिकारी, पूगल निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम यह जांच करे कि अपीलाधीन अराजी मिडियम पेच की परिधि में है अथवा नहीं? ,आवेदकों की सीलिंग सीमा की जांच करते हुए तथा साथ ही वन विभाग एवं नहर विभाग से सूचना प्राप्त करते हुए अपीलाधीन अराजी आवंटन योग्य भूमि होने पर अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर